

न्यायालय कलेक्टर, जिला भोपाल (म0प्र0)

कमांक 23 / रीडर-कले./ 2015  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23-11-2015

अवर सचिव,  
माननीय राजस्व मण्डल,  
केम्प भोपाल

3849-13/2015

विषय :- पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण कमांक 07/अ6आ/11-12, में दिनांक 21-03-2012 को पारित आदेश में अनुविभागीय अधिकारी(रा.) हुजूर के त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के कारण पारित आदेश भी त्रुटिपूर्ण हो गये हैं, जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक होने के कारण प्रकरण मूलतः प्रतिवेदन दिनांक 20-10-2015 जो प्रकरण में संलग्न है, सहित पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान किये जाने के अनुरोध सहित संलग्न प्रेषित है। [माननीय/शादा]

2- कृपया पुनर्विलोकन की अनुमति पश्चात मूल प्रकरण वापस भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न (प्र.क.7/अ-6-अ/11-12  
(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

(23/11/16/2015)

प्रभारी अधिकारी  
कलेक्टर न्यायालय भोपाल

23/11/15

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. M/s. 3849 - BBR/15. जिला ..... ग्वालियर .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.11.2012	<p>उम्मीदवार और सभी      अनिवार्य विधायिका अधिभाषक      उपायित, कर्वर के प्रश्ना से      जवाब है कि अनिवार्यके डाटा पुनर्विशेषक      कार्यक्रम सम्पत्ति दी गई है। इसी      कार्यक्रम के सम्पर्क को देखते हुए      प्रश्ना द्वारा 7/छ-6 प्र/11-12.      के पुनर्विशेषक के अनुभाव दी      जाती है।</p> <p style="text-align: right;">१००-८८ उम्मीदवार</p>	